9

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संकल्प

सं0सं0–04/आ0–17/2021/...2552.../   राँची, दिनांक–..............................

झारखण्ड के राज्यपाल को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री अरविन्द कुमार, तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह द्वारा कार्य अवधि में विद्यालय में निजी कंपनी के सामग्री बेचना परिलक्षित होता है, जिससे पदीय गरिमा का उल्लंघन करन, सरकारी सेवा में रहते हुए व्यवसायिक कार्य करने, निजी कार्य हेतु सरकारी मशीनरी/ संपदा का दुरुपयोग करने, कार्य अवधि में दायित्वों का निर्वहन नहीं कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में बाधा पहुँचाने, ससमय स्पष्टीकरण समर्पित नहीं कर स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता बरतने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के विपरीत कार्य करने का आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

अतः प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–8054 दिनांक–24.11.2021 के आलोक में इस विभाग के लिए नामित जाँच पदाधिकारी श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0) को संचालन–सह–जाँच पदाधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति संचालन पदाधिकारी/ उपस्थापन पदाधिकारी/ आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।

आरोपित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष यथा आदेश रखना सुनिश्चित करें। साथ ही वे विभागीय कार्यवाही के संचालन कार्य में विभागीय जाँच पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग करेंगें।

विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में प्राप्त अन्य प्रतिवेदन/ परिवाद पत्र भी आरोप के तहत् स्वीकार्य होंगें।

कृ0पृ0उ0

संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि निर्धारित समयावधि में जाँच कार्य पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

02.11.22

(कुमुद सहाय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2552/ **राँची, दिनांक–**09-11-2022

प्रतिलिपि :– विभागीय नोडल पदाधिकारी, विभागीय ई0 पोर्टल को सूचनार्थ एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2552/ **राँची, दिनांक–**09-11-2022

प्रतिलिपिः– श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत्त, भा0प्र0से0) संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, नगर प्रशासनिक भवन, एच0इ0सी0 गोलचक्कर के निकट, धुर्वा, राँची/ उपस्थापन पदाधिकारी– श्री अनिल कुमार, अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/ श्री अरविन्द कुमार, तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह (सम्प्रति मुख्यालय– स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rndl
11.11.22

02.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2552/ **राँची, दिनांक–**09-11-2022

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के आप्त सचिव/ विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।